न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 222/2025

श्रीमती अनितासिंह उर्फ अनीताकंवर पत्नी श्री तेजप्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा। —प्रार्थी—

—बनाम—

राज्य सरकार तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

——:: निर्णय ::—— दिनॉक :— 06.03.26

प्रार्थीया ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 807 रकबा 0.73 हैक्टर आराजी वाके ग्राम राजगढ तहसील सांगोद में स्थित है। प्रार्थीया की उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में संलग्न खसरा नंबर 806 की 0.65 हैक्टर आराजी खातेदार राधेश्याम पुत्र रामप्रताप माली निवासी राजगढ की स्थित है किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शा लट्ठा तैयार करते वक्त सहवन से खसरा नंबर 807 व 806 को एक दूसरे के स्थान पर उल्टा दर्ज कर दिया था जिसके बाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा वाद संख्या 16/09 में पारित निर्णय—डिक्री दिनांक 19.06.2009 की अनुपालना में नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरूस्त करते हुये खसरों को सही स्थान पर दर्ज कर दिया था किन्तु सेग्रीगेशन के दौरान पुनः कम्प्यूटर त्रुटि से वापस खसरों को एक दूसरे के स्थान पर गलत अंकित कर दिया है। जो काबिल दुरूस्ती है। उक्त त्रुटि का प्रार्थीया को इल्म होने पर प्रार्थीया ने तहसीलदार साहब सांगोद को दिनांक 29.10.2025 को लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार सांगोद के पत्र कमांक 2861/29.10.2025 पर पटवार हल्का मण्डिता द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई जिसके उपरान्त तहसीलदार सांगोद द्वारा उक्त पत्रावली अपने पत्र कमांक :— भू.अभि./2024/2873 दिनांक 30.10.2025 के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया किन्तु अभी तक प्रार्थी का रेकार्ड दुरूस्त नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों में उक्त राजस्व त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिसके कारण माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा

2....

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त कार्यवाही का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा की वर्तमान प्रचलित राजस्व नक्शाशीट में खसरा नंबर 807 के स्थान पर खसरा नंबर 806 अंकित किया जावे एवं खसरा नंबर 806 के स्थान पर खसरा नंबर 807 अंकित किया जावे।

प्रार्थीया द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी पेरोकार सरकार तहसीलदार सांगोद को ओर से जवाब मय पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हुआ कि पूर्ववाद संख्या 16/09 में पारित निर्णय–डिक्री दिनांक 19.06.2009 की अनुपालना में नक्शा लट्ठा में तरमीम दुरूस्त करते हुये विवादग्रस्त खसरों को सही स्थान पर दर्ज कर दिया था किन्तु सेग्रीगेशन के दौरान पुनः कम्प्यूटर त्रुटि से वापस खसरों को एक दूसरे के स्थान पर गलत अंकित कर दिया है। जो मेरी राय में काबिल दुरूस्ती है। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि माल ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा की वर्तमान प्रचलित राजस्व नक्शाशीट में खसरा नंबर 807 के स्थान पर खसरा नंबर 806 अंकित किया जावे एवं खसरा नंबर 806 के स्थान पर खसरा नंबर 807 अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 06.03.26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद